Email: directoracad.cbse@nic.in
Webite: www.cbseacademic.in

Tel: 011-23212603
Tele Fax: 011-23234324

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
शिक्षासदन, 17, इन्सटिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यु, दिल्ली-110002.
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
"ShikshaSadan", 17, Institutional Area, Rouse Avenue, New Delhi-110002.

के.मा.शि.बो./शैक्षणिक/निदेशक(शै.अ.प्र.एवं न.)/2015 **दिनांक - 02.01.2015**

परिपत्र संख्या : शैक्षणिक - 02/2015

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
से संबद्ध सभी प्रमुखों के लिए

प्रिय प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्य

विषय : 11 से 17 जनवरी, 2015 तक के सप्ताह का सड़क सुरक्षा सप्ताह / रोड सेफ्टी वीक के रूप में आयोजन।

हमारे देश में प्रतिवर्ष एक लाख से अधिक लोग सड़क दुघटना में अपना जीवन गँवा देते हैं। इससे जान-माल का नुकसान होता है और दिवंगत के परिवार को मानसिक आघात पहुँचता है। इसलिए सड़क सुरक्षा के विभिन्न उपायों को अपनाने की आवश्यकता महसूस होती है। सड़क सुरक्षा की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए, पूरे देश में प्रतिवर्ष जनवरी-मास के अंतर्गत 'सड़क सुरक्षा सप्ताह' का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन के माध्यम से सुरक्षित सड़कां की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। यह सभी हितधारियों के लिए एक ऐसा अवसर भी है, जिसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से योगदान करके वे इसको प्रोत्साहित कर सकते हैं।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध सभी विद्यालयों में 11 से 17 जनवरी, 2015 तक 26 वाँ सड़क सुरक्षा सप्ताह आयोजित होगा। इस वर्ष के सड़क सुरक्षा सप्ताह का मुख्य विषय होगा 'सुरक्षा केवल एक नारा नहीं, यह जीवन का एक ढंग है'। सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान की जाने वाली गतिविधियों की एक सांकेतिक सूची संलग्नक 1 में दी गई है

इन गतिविधियों से लाभान्वित होने के लिए यह अनुरोध है कि इनमें सभी संबंधित एजेसियों जैसे ट्रैफिक पुलिस, स्वास्थ्य, सूचना और प्रसार, शिक्षा, लोक निर्माण विभाग आदि और अन्य एजेंसियों जैसे परिवहन प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण, स्वैच्छिक संगठनों आदि का सहयोग भी सुनिश्चित कर लिया जाये। सभी हितधारियों और समग्र जनता को इस कार्यक्रम की प्रतिभागिता के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

आपसे अनुरोध है कि अपने विद्यालय में आयोजित गतिविधियों की रिपोर्ट को छायाचित्रों/वीडियो/श्रव्यों (ऑडियो) (5 एम बी से अधिक नहीं) को बोर्ड की वेबसाइट www.cbseacademic.in मे दिए लिंक CBSE Academic Resources पर 20 जनवरी, 2015 तक अपलोड कर दें।

अधिक जानकारी के लिए डॉ प्रज्ञा एम. सिंह, संयुक्त निदेशक को 011-23215130 पर अथवा praggyamsingh.cbse@gmail.com पर संपर्क करें।

सड़क सुरक्षा सजगता कार्यक्रम में आपके अधिकतम सक्रिय सहभागिता की आकांक्षी,

भवदीया,

हस्ताक्षरित/-

(डॉ. साधना पाराशर)

प्रोफेसर एवं निदेशक (शैक्षणिक, अनुसन्धान, प्रशिक्षण एवं नवाचार)

निवेदन के साथ, सभी निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के प्रमुखों को, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना देने के लिए प्रतिलिपि:

1. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18-इन्सटिट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
2. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी -15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201307
3. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली-110054
4. निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर-9 चंडीगढ़-160017
5. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
6. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111
7. शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर-744101
8. राज्य शिक्षा संस्थान, के.मा.शि.बो. कक्ष वी.आई.पी. मार्ग जंगली घाट. पी.ओ.-744103 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह।
9. केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस.एस. प्लाज़ा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085
10. आर्मी एडुकेशन के अपर निदेशक जनरल, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू, पीओ, नई दिल्ली-110001
11. सभी क्षेत्रीय निदेशक। के.मा.शि.बो. के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के प्रमुखों को परिपत्र की प्रति भेजने के अनुरोध के साथ।
12. सभी एसोसिएट प्रोफेसर एवं अपर निदेशक/सलाहकार/परामर्शदाता
13. सभी अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/अप निदेशक/सह-निदेशक, वोकेशलन सेल, के.मा.शि.बो.
14. के.मा.शि.बो. की वेबसाइट पर इस परिपत्र को अपलोड करने के अनुरोध के साथ अनुसंधान अधिकारी (तकनीकी)
15. सभी सहायक प्रोफेसर एवं अपर निदेशक, के.मा.शि.बो.
16. सभी सहायक प्रोफेसर एवं उप निदेशक, के.मा.शि.बो.
17. उप निदेशक (परीक्षा एवं सुधार), के.मा.शि.बो.
18. असिस्टेंट लाइब्रेरियन, के.मा.शि.बो.
19. जन संपर्क अधिकारी, के.मा.शि.बो.
20. हिंदी अधिकारी, के.मा.शि.बो.
21. अध्यक्ष, के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
22. सचिव, के.मा.शि.बो. के निजी सचिव
23. परीक्षा नियंत्रक, के.मा.शि.बो. के अनुभाग अधिकारी
24. निदेशक (विशेष परीक्षा तथा सी.टी.ई.टी.), के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
25. प्रोफेसर एवं निदेशक (शैक्षणिक/अनुसन्धान/प्रशिक्षण एवं नवाचार), के.मा.शि.बो. के निजी सहायक
26. निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के निजी सहायक
27. निदेशक (एडुसैट) के निजी सहायक

प्रोफेसर एवं निदेशक (शैक्षणिक, अनुसन्धान, प्रशिक्षण एवं नवाचार)

संलग्नक - 1

राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह (11 से 17 जनवरी, 2015) के अंतर्गत की जा सकने वाली गतिविधियों की सांकेतिक सूची

1. इमारत के प्रवेश/निकास, कार-पार्किंग आदि स्थलों पर सड़क सुरक्षा सप्ताह तथा विषय-वस्तु अंकित करके फ्लैक्स बैनर / पोस्टर लगाना।

2. सड़क सुरक्षा पर कार्यशालाओं, वार्ताओं, निबंध प्रतियोगिता, क्विज़ प्रतियोगिता आदि का आयोजन हो जिनमें सड़क सुरक्षा नियमों सड़क अधिनियम 1989 और अन्य मोटर परिवहन अधिनियम के उल्लंघन का प्रभाव सम्मिलित हो।

3. विद्यालय परिवहन चालकों की चिकित्सीय जांच के लिए चिकित्सीय परीक्षा कैम्प का आयोजन।

4. नागरिकों में सजगता उत्पन्न करने के लिए साइक्लोथोन/वॉकाथोन का आयोजन।

5. पुनश्चर्या / प्रशिक्षण का आयोजन।

6. चालकों के लिए सड़क सुरक्षा के नियमों, विभिन्न संकेतों / पहचान सूचकों और दुघटना के दौरान प्राथमिक चिकित्सा - सेवा संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय का प्रसार करना, जिसमें यह बताया गया है कि 'एक मनुष्य का जीवन बचाने के प्रयत्न को प्राथमिकता देना न केवल चिकित्सीय पेशावरों द्वारा, अपितु पुलिस या किसी अन्य नागरिक द्वारा जो उस घटना से संबंधित हो या जिसने ऐसी किसी घटना या परिस्थिति पर गौर किया हो, सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जब कोई चिकित्सक किसी ऐस ज़ख्मी व्यक्ति की चिकित्सा के लिए बुलाया जाये जिसे तुरंत चिकित्सा की आवश्यता हो, तो उसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी रोक-टोक नहीं होती है।

8. सभी छात्रों, अध्यापकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों का स्वास्थ्य निरीक्षण।

यह जनादेश है कि संबद्धता अधिनियम में दिए गए व दिनांक 8/6/2012 को जारी संबद्धता परिपत्र संख्या 01/2012 में दिए गए परिवहन सुरक्षा नियमों का पालन किया जाए।